

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/स्थापना/अ-1/विविध/11/1557

भोपाल, दिनांक 18/02/2025

प्रति,

सचिव/प्रभारी सचिव (समस्त)

कृषि उपज मण्डी समिति,

-----जिला----- (म.प्र.)

विषय:-

अवकाश पर जाने/मुख्यालय छोड़ने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने बाबत।

..000...

प्रायः यह देखा जा रहा है कि, संभाग के अन्तर्गत कृषि उपज मंडी समितियों में सचिव/ प्रभारी सचिव अवकाश पर जाने/मुख्यालय छोड़ने के पूर्व संबंधित आंचलिक कार्यालय से सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अवकाश पर चले जाते हैं। जिसकी जानकारी संबंधित आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालकों को नहीं रहती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अवकाश पर जाने/मुख्यालय छोड़ने के पूर्व संबंधित आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालकों/उपसंचालकों से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरांत ही मुख्यालय से बाहर अवकाश पर प्रस्थान करे। स्वीकृति प्राप्त नहीं किये जाने की दशा में यदि सचिव/प्रभारी सचिव अवकाश पर चले जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(प्रबंध संचालक द्वारा आदेशित)


संयुक्त संचालक (स्थापना)

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/स्थापना/अ-1/विविध/11/1558

भोपाल, दिनांक 18/02/2025

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
- (2) अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
- (3) भारसाधक अधिकारी/सचिव (समस्त) कृषि उपज मण्डी समिति, जिला की ओर।


संयुक्त संचालक (स्थापना)

म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल